मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 20–36/2010/बी–ग्यारह भोपाल, दिनांक 31-3-11

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
म0प्र0, भोपाल ।

विषय :– उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना की कण्डिका क्र0 15.11

——

उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना की कण्डिका क्र0 15.11 निम्नानुसार है :–

''15.11 विनिर्माण उद्यमों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आई0एस0ओ0 9000 अथवा समकक्ष गुणवत्ता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत अथवा रू0 1.00 लाख जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जावेगी । भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये लागू ऐसी ही अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये इकाईयों को प्रोत्साहित किया जायेगा ।''

2/ उक्त प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु तैयार ''उद्योगों को गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की पूतिपूर्ति योजना,2010'' की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है । कृपया योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें

3/ वित्त विभाग के यू0ओ0 क्र0 122/154/11/ब–2/4, दिनांक 18.3.2011 से उक्त योजना को जारी करने की सहमति दी गई है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम0एस0सोलंकी),
उप सचिव,
म0प्र0 शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 20–36 / 2010 / बी–ग्यारह भोपाल, दिनांक 31-3-11

प्रतिलिपि :–

1 प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, को महालेखाकार, ग्वालियर को पृष्ठांकित करने हेतु ।

2 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) / (लेखा एवं परीक्षा) ग्वालियर म0प्र0 ।

3 प्रबंध संचालक, म0प्र0 ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉरपोरेशन लि0 / म0प्र0 स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, भोपाल ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

उप सचिव,
म0प्र0 शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश
(उद्योग संवर्धन नीति प्रकोष्ठ)

पृ0क्र0: 64 / उसंनीप्र / (10) / 2010 / 812-878 भोपाल, दिनांक 06.04.2011

प्रतिलिपिः–

1/ अपर / संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, भोपाल / इंदौर / जबलपुर / उज्जैन / ग्वालियर / सागर / रीवा।

2/ प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर / भोपाल / ग्वालियर / जबलपुर / रीवा / उज्जैन।

3/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र...(समस्त)।

4/ अपर / उप संचालक उद्योग, वित्तीय सहायता / एमएसएमई / सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष., मुख्यालय भोपाल।

उप संचालक उद्योग
कृते उद्योग आयुक्त.

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

उद्योगों को गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति योजना, 2010

1. इस योजना का शीर्षक ''उद्योगों को गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति योजना, 2010'' होगा।

   यह योजना सूक्ष्म, लघु, मध्यम व वृहद श्रेणी के नवीन तथा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन करने वाले विनिर्माण उद्यमों एवं पुनर्वासित उद्योगों हेतु लागू होगी।

2. **योजना के प्रभावशील होने की अवधि एवं कार्यक्षेत्र –**

   ''उद्योगों को गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति योजना, 2010'' दिनांक 1 नवम्बर, 2010 से 5 वर्ष के लिये सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू होगी।

3. **परिभाषायें –**

   1) **''सूक्ष्म, लघु, मध्यम व वृहद औद्योगिक इकाई''** से अभिप्रेत है भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय/वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा समय–समय पर परिभाषित सूक्ष्म, लघु, मध्यम व वृहद उद्योग।

   2) **''नई औद्योगिक इकाई''** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के किसी भी जिले में स्थापित सूक्ष्म, लघु, मध्यम अथवा वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाई, जिसने नई औद्योगिक इकाई के रूप में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से ई.एम. अभिस्वीकृति पत्र अथवा भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से आई.ई.एम. अभिस्वीकृति पत्र प्राप्त किया हो तथा दिनाक 1 नवम्बर, 2010 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो।

   3) **''विद्यमान औद्योगिक इकाई''** से अभिप्रेत है, ऐसी विद्यमान सूक्ष्म, लघु, मध्यम अथवा वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाई, जो दिनांक 1 नवम्बर, 2010 के पूर्व से उत्पादनरत् हो अथवा उसके पश्चात् उत्पादन में आई हो।

   4) **''गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय''** से तात्पर्य है, सूक्ष्म, लघु, मध्यम अथवा वृहद श्रेणी के उद्योग द्वारा आई.एस.ओ. 9000 अथवा उसके

समतुल्य किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए किया गया व्यय।

4. **योजना की प्रभावशीलता एवं विस्तार –**

इस योजना की प्रभावशीलता स्वामित्विक/भागीदारी फर्म/कम्पनी द्वारा दिनांक 01.11.2010 को या उसके पश्चात् मध्यप्रदेश में नवीन सूक्ष्म, लघु, वृहद/मध्यम श्रेणी के नवीन उद्योग की स्थापना तथा इस श्रेणी के विद्यमान उद्योगों के विस्तार, डायवर्सिफिकेशन एवं तकनीकी उन्नयन के संबंध में होगी।

5. इस योजना के अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा कतिपय उद्यमों/उद्योगों को उपलब्ध नही होगी, यथा, स्लॉटर हाउस एवं मांस पर आधारित उद्योग, सभी प्रकार के पान मसाला एवं गुटखा विनिर्माण, फ्रूट पल्प पर आधारित पेय से भिन्न सभी प्रकार के सॉफ्ट ड्रिंक्स का विनिर्माण, मदिरा, तम्बाखू उत्पाद एवं तम्बाखू पर आधारित विनिर्माण, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के द्वारा अथवा उनके उपक्रमों या संयुक्त उपक्रम द्वारा स्थापित उद्योग एवं ऐसे उद्योग जो राज्य शासन अथवा राज्य शासन के किसी उपक्रम के घोषित चूककर्ता/अशोधी (defaulter) है। ऐसी इकाईयों जिनके द्वारा भारत शासन में उक्त स्वरूप की योजना के तहत् प्रतिपूर्ति प्राप्त की गई है, को मध्यप्रदेश शासन की इस योजना के अंतर्गत पात्रता नहीं होगी।

6. **गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की पात्रता एवं मात्रा –**

अपात्र उद्योगों की श्रेणी में न आने वाले सूक्ष्म, लघु, मध्यम व वृहद श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आई.एस.ओ. 9000 अथवा उसके समतुल्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने में किये गये कुल व्यय का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹ 1 लाख जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जावेगी बशर्ते की प्राप्त किया गया प्रमाणीकरण न्यूनतम एक साल के लिए वैध हो।

<u>नोट</u> –

(क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को संदर्भित बीमार मध्यम/वृहद श्रेणी के उद्योगों को प्रबंधन परिवर्तन के द्वारा अधिग्रहित कर अथवा क्रय कर पुनर्वासित करने पर, बी.आई.एफ.आर. द्वारा परिसमापन मत के उपरांत लिक्वीडेशन में लंबित उद्योग तथा राज्य शासन के निगमों एम.पी.स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन या मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा अधिग्रहित इकाईयों को क्रय/अधिग्रहित करने के पश्चात् विक्रय करने पर यदि पुनर्वासित इकाई के स्थायी पूंजी निवेश में अधिग्रहणकर्ता द्वारा दिनांक 1 नवम्बर, 2010 या उसके पश्चात् किया गया नवीन पूंजी निवेश, पूर्व पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत से

अधिक (न्यूनतम ₹ 10 करोड़) होता है, तो उसे नवीन इकाई के अनुरूप गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। ऐसी इकाईयों के प्रकरणों में विशेष पैकेज/पॉलिसी पैकेज, 2010 के अंतर्गत सुविधाएं स्वीकृत करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा पैकेज की स्वीकृति के उपरांत ही गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

(ख) 'बीमार लघु श्रेणी के उद्योगों के लिए पुनर्जीवन योजना' के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी बीमार लघु उद्योग इकाई के लिए पुनर्वास योजना स्वीकृत करने के उपरांत पुनर्जीवन पैकेज के अंतर्गत दिनांक 01.11.2010 को या उसके पश्चात् आई.एस.ओ. 9000 प्रमाणीकरण/मान्यता प्राप्त संस्था से गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त किया जाता है, तो ऐसी इकाईयों को उक्त प्रमाणीकरण हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति नवीन इकाई के समान प्राप्त करने की पात्रता होगी।

(ग) पूर्व स्थापित मध्यम/वृहद उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन पर यदि पूर्व में किए गए स्थायी पूंजी निवेश के 30 प्रतिशत अथवा ₹ 50.00 करोड़, जो भी कम हो, का स्थायी पूंजी निवेश किया जाता है, तो ऐसी इकाई को अतिरिक्त क्षमता विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन से संबंधित पूंजी निवेश पर नई इकाई के समान गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। इसी प्रकार स्थापित लघु उद्योग इकाई द्वारा पूर्व में किए गए स्थायी पूंजी निवेश के न्यूनतम 50 प्रतिशत के तुल्य अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश (जो ₹ 25.00 लाख से कम नहीं हो) किए जाने पर नई इकाई के समान गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। इकाईयों द्वारा अपनी विस्तार पूर्व पंजीकृत स्थापित क्षमता अथवा विगत् 3 वर्षों के औसत उत्पादन, जो भी अधिक हो, से अधिक उत्पादन करने पर ही योजनांतर्गत उक्त सुविधा उपलब्ध होगी। इस शर्त की पूर्ति नहीं होने पर इकाई को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

7. गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया –

इस योजना का क्रियान्वयन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से किया जावेगा। औद्योगिक इकाई को जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में निम्न दस्तावेज के साथ परिशिष्ट–एक पर संलग्न प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा –

1) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्राप्त ई.एम. पार्ट–2 अभिस्वीकृति पत्र अथवा भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त आई.ई.एम. पार्ट–बी अभिस्वीकृति पत्र।

2) आई.एस.ओ. 9000 अथवा उसके समतुल्य प्रमाणीकरण की अभिप्रमाणित प्रति।

3) उन दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति जो कि आई.एस.ओ. 9000 अथवा उसके समतुल्य प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए किये गये व्यय को सिद्ध करते हों।

4) इकाई द्वारा परिशिष्ट–दो पर संलग्न प्रारूप के अनुसार इस आशय का घोषणा–पत्र कि उनके द्वारा भारत शासन की समान स्वरूप की योजनांतर्गत कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कोई सुविधा प्राप्त की गई है।

8. **गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति/वितरण की प्रक्रिया –**

(1) आई.एस.ओ. 9000 अथवा उसके समतुल्य प्रमाणीकरण प्राप्त करने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए इकाई से प्राप्त आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा योजना अनुरूप गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति औद्योगिक इकाई के पक्ष में स्वीकृत की जावेगी। उपरोक्तानुसार स्वीकृत की गई राशि का भुगतान उपलब्ध बजट आवंटन में से संबंधित इकाई को चैक/ड्राफ्ट द्वारा किया जावेगा।

(2) इस योजना के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन/व्याख्या उद्योग आयुक्त द्वारा की जा सकेगी, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगी।

9. **निरसन एवं व्यावृत्ति –**

"उद्योगों को गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति योजना, 2010" दिनांक 01 नवम्बर, 2010 को या उसके पश्चात् उत्पादन प्रारंभ करने वाली पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम व वृहद श्रेणी औद्योगिक इकाईयों के संबंध में लागू होगी। दिनांक 01 नवम्बर, 2010 के पूर्व उत्पादन में गई इकाईयों के लिये गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति योजना, 2004 प्रभावशील रहेंगी। पूर्व में निराकृत प्रकरण, जो पुराने नियमों के अन्तर्गत निराकृत किये जा चुके है, इन नियमों के अन्तर्गत पुनः नहीं खोले जावेगें।

———0———

एस. एस. संगोत्रा
[illegible]
[illegible]
[illegible]